UPHR010035322023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित–रीता कौशिक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(जे०ओ०कोड–यू०पी० 05728)

फौजदारी अपील संख्या–28/2023

1–बेचेलाल पुत्र मंगा
2–बिज्जू उर्फ बिजलाल पुत्र मंगा
3–रामनरेश पुत्र मंगा
सर्वनिवासीगण–ग्राम रसूलपुर ऐमा थाना साण्डी जिला हरदोई।
---------------------------------अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, हरदोई।
2–शिवराज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम रसूलपुर ऐमा थाना साण्डी जिला हरदोई।
------------------------------------उत्तरदाता/वादी मुकदमा

निर्णय

1. यह दाण्डिक अपील, अपीलार्थीगण बेचेलाल, बिज्जु उर्फ बिजलाल एवं रामनरेश द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०–04, हरदोई द्वारा दाण्डिक परिवाद सं०–1350/2014, अं० धारा–323/34, 325/34 भा०दं०सं० शिवराज बनाम बेचेलाल आदि थाना साण्डी जिला हरदोई में पारित निर्णय दिनांकित 11.05.2023 जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 323/34 भा०दं०सं० में 06 माह के साधारण कारावास, मु० 500/– रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 325/34 भा०दं०सं० में 03 वर्ष के साधाराण कारावास व मु० 1500/– अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य हैं कि परिवादी शिवराज की ओर से एक परिवाद विपक्षीगण बेचेलाल, बिज्जू एवं रामनरेश के विरूद्ध मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि "परिवादी हरिजन जाति में से पासी जाति का व्यक्ति है। विपक्षीगण जाति में से किसान है। विपक्षीगण बहुत की सरकस किस्म के व्यक्ति हैं। परिवादी तीन भाई हैं। उसने व उसके भाईयों ने अपने खेत में धनिया बोई थी, जिसकी फसल खड़ी है। विपक्षी संख्या 1 बेचेलाल का लड़का बेदराम उसके खेत में जबरदस्ती धनिया उखाड़ने गया और धनिया उखाड़ा। जब धनिया उखाड़कर चलने लगा। तब परिवादी मौके पर पहुँच गया और कहा कि तुमने धनिया क्यों उखाड़ी है। इतने में कहा कि साले जाति के पासी होकर हमसे बातें करते हो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। परिवादी को गन्दी गन्दी गालियां देकर भगा दिया। परिवादी घर गया, सारी बात पूरे परिवार को बताई, तो परिवादी को लेकर विपक्षी संख्या–1 बेचेलाल के मकान पर माँ उलाहना देने गयी तो विपक्षी संख्या 2 बिज्जू ने कोई बात नहीं सुनी और एकाएक लाठी से वार किया जो उसके सिर पर लगी, जिससे सिर फट गया। परिवादी चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज सुनकर व शोर पर गाँव के राधे पुत्र गंगाराम व अन्य तमाम

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.04.07 16:22:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लोगों के आ जाने पर बचाया। अगर यह लोग बचा न लेते तो जान से ही मार डालते। जब परिवादी वापस घर आया तब विपक्षीगण एकराय होकर परिवादी के घर पर आकर भद्दी–भद्दी गालियां दी और कहा कि आज साला बच गया है। इसे जान से मार डालो। परिवादी ने अपना बचाव किया और चिल्लाया तो विपक्षीगण वहाँ से भाग गये। भागते समय यह धमकी दे गये कि अगर थाने में मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही की तो पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे। उसका डॉक्टरी मुआयना सदर अस्पताल हरदोई में हुआ और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर यह इस्तगासा दायर कर रहा है।

3. मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिवादी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० एवं उसके गवाह पी०डब्लू०–01 हरिश्चन्द्र, पी०डब्लू०–02 सत्यनरायन एवं पी०डब्लू०–03 डा० ए०के० रस्तोगी, पी०डब्लू० 04 वी०डी०वर्मा एवं पी०डब्लू० 05 श्रीमती कमला के बयान अंतर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० अंकित करने के बाद तथा परिवादी की बहस सुनने के उपरांत प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त पाते हुए अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 323/34, 325/34 भा०दं०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया।

4. परिवादी शिवराज के द्वारा धारा 244 दं०प्र०सं० के अंतर्गत स्वयं को बतौर पी०डब्लू०–01, पी०डब्लू०–02 कमला एवं पी०डब्लू०–03 हरिश्चन्द्र को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। धारा 244 दं०प्र०सं० के बयान के आधार पर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण बेचेलाल, बिज्जू एवं रामनरेश के विरूद्ध धारा 323/34, 325/34 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

5. परिवादी शिवराज की ओर से अपने कथनों के समर्थन में धारा 246 दं०प्र०सं० के अंतर्गत स्वयं को बतौर पी०डब्लू०–01, पी०डब्लू०–02 श्रीमती कमला, पी०डब्लू०–03 डा० ए०के० रस्तोगी व पी०डब्लू०–04 फार्मासिस्ट कमलेश कुमार को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्ष्य अंतर्गत धारा 246 दं०प्र०सं० में परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। चोटहिल शिवराज की एक्स–रे रिपोर्ट एवं चिकित्सीय आख्या को पी०डब्लू०–03 डा० ए०के० रस्तोगी तथा पी०डब्लू०–04 फार्मासिस्ट कमलेश कुमार द्वारा क्रमशः प्रदर्श क–1 एवं प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है।

6. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने घटना को झूठा बताया है। पी०डब्लू०–1 एवं पी०डब्लू०–2 द्वारा गलत गवाही देना कहा है। पी०डब्लू०–3 एवं पी०डब्लू०–4 द्वारा झूठा साक्ष्य देना कहा गया है। अभियुक्त बेचेलाल द्वारा कहा गया है कि मेरे सगे छोटे भाई बृजलाल उर्फ बिजू को वादी पक्ष ने मारा था, जिसका मुकदमा मेरे भाई ने लिखाया था। इसी बात की रंजिश एवं समझौता करने का दबाव बनाने के लिये यह झूठा मुकदमा लिखाया है। अभियुक्त बिज्जू ने कहा है कि वादी पक्ष ने मुझे मारकर चोटें पहुँचायी थी, जिसका मैंने मुकदमा किया है। इसी बात की रंजिश एवं समझौते के लिये दबाव बनाने के लिये यह झूठा मुकदमा लिखाया है। अभियुक्त रामनरेश ने कहा है कि मेरे सगे भाई बृजलाल उर्फ बिज्जू को वादी पक्ष ने मारपीट कर चोटें पहुँचायी थी, जिसका मुकदमा मेरे भाई ने लिखाया था। उसी मुकदमे की रंजिश से यह झूठा मुकदमा लिखाया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया।

7. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए डी०डब्लू० 01 विमलेश एवं डी०डब्लू० 02 रामसरन को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 10 ब के माध्यम से नकल आरोप पत्र मुकदमा नम्बर–733/2014, अपराध संख्या–230/1998, धारा 323, 325, 504 भा०दं०सं०, सरकार बनाम शिवराज आदि, थाना साण्डी, जिला हरदोई, डॉक्टरी मुआयना बृजलाल पुत्र मंगा किसान, दिनांकित 25.10.1998, एक्स–रे रिपोर्ट बृजलाल दिनांकित 26.10.1998 एवं सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट एक्स–रे संख्या 1993 दिनांकित 26.10.1998 की प्रति दाखिल की गयी है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 323/34,35/34 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 323/34 भा०दं०सं० में 06 माह के साधारण कारावास, मु० 500/– रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 325/34 भा०दं०सं० में 03 वर्ष के साधाराण कारावास व मु० 1500/– अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

9. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी अपील के आधार स्वरूप किये गये हैं कि परिवादी ने अपीलकर्तागण जोकि अभियुक्तगण हैं, ने अपना बचाव पक्ष का केस अभिलेखीय, मौखिक साक्ष्य व अन्य भांति पूरी तरह से साबित कर दिया है। परन्तु अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 11.05.2023 सम्यक अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित न करके त्रुटि कारित की गयी है। अपीलकर्तागण/अभियुकागण, परिवादी/ उत्तरदाता संख्या–02 द्वारा कही गयी घटना को पूरी तरह असत्य व गलत निराधार, मनगढ़न्त साबित करते हुए न्यायालय के समक्ष स्वयं को निर्दोष साबित करने में सफल रहे हैं, परन्तु अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सरसरी तौर पर अवलोकन व परिशीलन करके अपीलकर्तागण को दोषी करार देने का निर्णय पारित करके अपार भूल की है। परिवादी/उत्तरदाता संख्या–02 अपने परिवाद पत्र के कथानक को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है, मात्र चिकित्सीय आख्या के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पत्र में लिखित घटना पर विश्वास करके अपीलकर्तागण को दोषी करार देते हुए निर्णय पारित करने में भूल की है। अपीलकर्तागण पूर्णतः निर्दोष हैं और अपीलकर्तागण के द्वारा परिवाद पत्र में कथित घटना कारित नहीं की गयी है। अवर न्यायालय द्वारा प्राप्त शक्तियों को उपयोग न करके प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 11.05.2023 को पारित करने की महान भूल कारित की गयी है। अवर न्यायायल द्वारा उपरोक्त परिवाद में परिवादी द्वारा प्रस्तुत धारा–246 दण्ड प्रक्रिया संहिता के साक्ष्य को भली भांतिपूर्वक न्यायिक विवेक से विश्लेषण न करके सरसरी तौर पर विश्लेषण करके निर्णय दिनांकित 11.05.2023 को पारित करने की महान मूल की है। अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 11.05.2023 अविधिक, असंगत व त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है, जो कि स्थिर रहने योग्य नहीं है और प्रत्येक दशा में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.05.2023 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

10. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विपक्षी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखित रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

11. मैंने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं उत्तरदाता सं०–02 के विद्वान अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), हरदोई को सुना तथा संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

12. संबंधित पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी के कथानानुसार दिनांक 28.10.1998 से पूर्व, समय सुबह 8–9 बजे, अभियुक्तगण ने स्वेच्छया एक राय होकर परिवादी शिवराज के साथ लाठी से मारपीट कर, उसे साधारण व गंभीर उपहति कारित की।

13. अपीलार्थीगण /दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण/दोषसिद्धगण ने परिवादी/उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा कही गयी घटना को पूरी तरह असत्य, गलत, निराधार एवं मनगढ़न्त साबित करते हुए स्वयं को निर्दोष साबित किया गया परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सरसरी तौर पर अवलोकन व परीक्षण परिवादी द्वारा प्रस्तुत अं० धारा 246 दं०प्र०सं० के साक्ष्य को भलीभांति का पूर्ण न्यायिक विवेक से विश्लेषण न करके मात्र चिकित्सीय आख्या के आधार पर परिवाद पत्र में लिखित घटना पर विश्वास करके अपीलकर्तागण को दोषसिद्ध करार देकर निर्णय पारित करके भूल की है।

14. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी/पी०डब्लू० 01 शिवराज व पी०डब्लू० 02 कमला देवी एवं पी०डब्लू० 03 डा० एस०के० रस्तोगी के अं०धारा 244 दं०प्र०सं० में किये गये कथन तथा परिवादी/पी०डब्लू० 01 शिवराज व पी०डब्लू० 02 कमला देवी, पी०डब्लू० 03 डा० एस०के० एवं पी०डब्लू० 04 फार्मासिस्ट कमलेश कुमार द्वारा अं०धारा 246 दं०प्र०सं० में किये गये कथनों एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को लाठी से मारपीट कर साधारण एवं गंभीर उपहित कारित करने के परिवादी के कथन को साबित मानते हुए बेचेलाल, बिज्जू उर्फ बिजलाल एवं रामनरेश को धारा 323/34 व 325/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किया गया है।

15. अपीलार्थीगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में घटना की तिथि व समय अंकित नहीं की गयी है। अपने कथन अं०धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवादी द्वारा कहा गया है कि घटना लगभग साढ़े चार माह पहले सुबह नौ बजे की है तथा घटना के संबंध में परिवादी का कथन विश्वसनीय नहीं है। अपीलार्थीगण के तर्क के प्रकाश में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में अभियुक्त बैचेलाल के लड़के वेदराम का जबरदस्ती उसके खेत से धनिया उखाड़ना तथा परिवादी द्वारा उसे धनिया उखाड़ने से मना करने पर वेदराम का गाली देकर भाग जाना कहा गया है तथा कथन किया गया है परिवादी व उसकी मां बेचेलाल के घर उलाहना देने गयी तो बिज्जू, बेचेलाल व रामनरेश उसे लाठी से मारने लगे। धारा 244 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 02 कमला परिवादी की माता है,ने भी अपने कथनों में परिवादी द्वारा 244 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत किये गये कथनों का समर्थन किया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 02 कमला देवी द्वारा घटना पौने चार साल पूर्व की होना कहा गया है। परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में घटना लगभग साढ़े चार माह पहले की होना कहा है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा परिवाद दिनांक 10.11.1998 को प्रस्तुत की गयी है तथा परिवादी का कथन अं०धारा 244 दं०प्र०सं० दिनांक 01.05.2003 को अंकित हुआ है अर्थात परिवाद प्रस्तुत करने के लगाभग साढ़े चार साल बाद हुआ है। अतः ऐसे में घटना लगभग साढ़े चार माह पूर्व की होने का कथन, साक्षी का कथन अंकित किये जाने के दौरान, उसके द्वारा घटना क्रम वर्णित करने व पीठासीन अधिकारी द्वारा बोल कर, प्रस्तुतकार से लिखवाने के मध्य किसी समय श्रवण/लेखन की त्रुटि के कारण भी हो सकता है तथा इस कारण से घटना संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है।

16. पत्रावली पर चोटहिल शिवराज की चिकित्सीय परीक्षण आख्या उपलबध है। परिवादी शिवराज की चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 28.10.1998 को 01.55pm जिला चिकित्सालय, हरदोई में हुआ है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–2 को साक्षी पी०डब्लू० 04 फार्मासिस्ट कमलेश कुमार ने साबित किया है तथा चोटहिल शिवराज की पूरक चिकित्सीय प्रदर्श क–1 को साक्षी पी०डब्लू० 03 डा० एस०के० रस्तोगी ने साबित किया है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–2 में चिकित्सीय परीक्षण के समय पायी गयी चोटें लगभग चार दिन पुरानी एवं ठोस वस्तु आना कहा गया है। चिकित्सीय परीक्षण के समय चोटहिल शिवराज के निम्नलिखित चोटें पायी गयी थी–**1.** Dry scabbed abrasion 1 cm x 0.5 cm on forehead 8 cm above the root of nose. **2.** Dry scabbed abrasion 1 cm x 1 cm on medial side of left wrist. **3.**Contused swelling on little finger of left hand. Swelling is diffuse over whole finger., जिसमें चोट संख्या 03 के एक्सरे के समय, बांये हाथ की छोटी उंगली टूटी पायी गयी।

17. परिवादी व उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा उक्त उपहति अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डंडों से मारपीट कर कारित किया जाना कहा गया है। अपीलार्थीगण द्वारा परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण से विस्तृत प्रतिपरीक्षा अपीलार्थीगण की ओर से की गयी है किन्तु घटना के समय व घटनाक्रम के संबंध में कोई सारवान विरोधाभास प्रतिपरीक्षा में दर्शित नहीं हो सका है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास होने के अपीलार्थीगण के तर्क के संबंध में

पत्रावली का सम्यक परीशीलन करते हुए तथा साक्षीगण हितबद्व होने के एवं धारा 202 दं०प्र०सं० में परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 02 सत्यनरायन को अं०धारा 244 दं०प्र०सं० में परीक्षित न कराये जाने एवं साक्षीगण के कथनों में घटना की तिथि व समय में भिन्नता होने एवं घटना का हेतुक न होने के प्रतिरक्षा के तर्क पर सम्यक अभिव्यक्ति करते हुए निर्णय पारित किया गया है।

18. अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण का यह भी तर्क है कि अपीलकर्तागण ने अपने बचाव का केस अपने मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य व अन्य भांति पूरी तरह से साबित कर दिया है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा अपने कथन अं०धारा 313 दं०प्र०सं० में कहा गया है कि वादी पक्ष द्वारा ब्रजलाल उर्फ बिज्जू को मारपीट कर चोटें पहुंचायी गयी, जिसका मुकदमा ब्रजलाल उर्फ बिज्जू ने किया था। इसी बात की रंजिश एवं समझौता करने का दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा लिखाया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष डी०डब्लू० 01 विमलेश एवं डी०डब्लू० 02 रामसरन को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 10 ब के माध्यम से नकल आरोप पत्र मुकदमा नम्बर-733/2014, अपराध संख्या-230/1998, धारा 323, 325, 504 भा०दं०सं०, सरकार बनाम शिवराज आदि, थाना साण्डी, जिला हरदोई, डॉक्टरी मुआयना बृजलाल पुत्र मंगा किसान, दिनांकित 25.10.1998, एक्स-रे रिपोर्ट बृजलाल दिनांकित 26.10.1998 एवं सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट एक्स-रे संख्या 1993 दिनांकित 26.10.1998 की प्रति दाखिल की गयी है।

19. अभियुक्त ब्रजलाल उर्फ बिज्जू के साथ वादी पक्ष द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में परिवादी साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा में प्रश्न किये गये है, जिनके उत्तर में साक्षी पी०डब्लू० 01 शिवराज द्वारा अपने बयान अं०धारा 244 दं०प्र०सं० में की गयी प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि मेरे खिलाफ इसी अदालत में मारपीट का मुकदमा चल रहा है। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है ब्रजलाल उर्फ बिज्जू द्वारा पंजीकृत प्रकरण में घटना दिनांक 24.10.1998 सायं छः बजे लगभग की होना कहा गया है। प्रतिरक्षा की ओर से परीक्षित साक्षी डी०डब्लू० 01 विमलेश व डी०डब्लू० 02 रामसरन द्वारा अपने मौखिक कथन में कहा गया है कि करीब सोलह वर्ष दस माह पहले समय छः बजे शाम ब्रजलाल उर्फ बिज्जू को नरेश, अखिलेश व शिवराज ने श्रीराम के खेत के पास लाठी-डंडों से काफी मारापीटा था, जिससे बिज्जू के हाथ की उंगलिया टूट गयी थी और सिर भी फूट गया था। इस मारपीट के पहले व बाद में उभय पक्षों के मध्य कोई झगड़ा नहीं हुआ था किन्तु डी०डब्लू० 01 विमलेश द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि "घटना के समय मैं अपना खेत देखने आया था। मेरा खेत गांव के पश्चिम तीन-चार खेत के बाद है। मेरे साथ ओर कोई नहीं था, मैं अकेला था। डी०डब्लू० 02 रामसरन ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि "सुबह साढ़े नौ बजे मारपीट, जो घटना वाले दिन हुई थी, मुझें कुछ नहीं मालूम। मेरा गांव रसूलपुर ऐमा से आधा किलोमीटर उत्तर तरफ है। मैं रसूलपुर दिन में एक भी बार नहीं जाता है। घटना वाले दिन मैं रसूलपुर ऐमा नहीं आया था। शाम को अपने खेत पर मेड़ मेढ़ रहा है।" इस प्रकार डी०डब्लू० 02 रामसरन द्वारा उसके निवास का स्थान अभियुक्तगण के निवास के स्थान से करीब आधा किलोमीटर उत्तर होना कहा गया है तथा यह कथन किया गया है कि वह रसूलपुर ऐमा दिन में एक भी बार नहीं आता है। अतएव ऐसे में सुबह को हुई किसी घटना के बारे में यदि उसे जानकारी नहीं है तो मात्र इस आधार पर परिवादी व साक्षीगण के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

20. परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण बेचेलाल, बिज्जु उर्फ बिजलाल एवं रामनरेश द्वारा दिनांक 28.10.1998 से लगभग चार दिन पूर्व प्रातः लगभग नौ बजे सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर परिवादी शिवराज से लाठी-डंडों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहति कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा तदनुसार पत्रावली पर उपलब्ध से अनुरूप निष्कर्ष

निकाला गया और अभियुक्तगण बेचेलाल, बिज्जु उर्फ बिजलाल एवं रामनरेश को अं०धारा 323/34 भा०दं०सं० व 325/34 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध कर दण्डादेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्प्ष्ट होता है कि अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण की अपराध अं०धारा 323/34 भा०दं०सं० व 325/34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्धि के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में तथ्यात्मक व कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है एवं अभियुक्तगण की अं०धारा 323/34 भा०दं०सं० व 325/34 भा०दं०सं० दोषसिद्धि की सीमा तक निर्णय पुष्ट किये जाने योग्य है।

21. अपीलार्थीगण/दोषसिद्धगण के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डोदश अत्याधिक है। यह प्रथम दोषसिद्धि है, कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपीलार्थीगण/दोषसिद्ध के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने घटना के तिथि व समय व स्थान पर मामले के चोटहिलों के साथ मारपीट कर सामान्य गंभीर उपहित पहुंचायी है। अतः उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

22. विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय दिनांक 11.05.2013 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दोषसिद्ध/अपीलार्थीगण के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष भी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गयी किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अभिव्यक्त करते हुए कि मामले में "अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण परिवीक्षा का लाभ पाने के अधिकारी नहीं है।"परीविक्षा का लाभ दोषसिद्धगण को नहीं दिया गया।

यह उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष के आधार स्वरूप किसी परिस्थिति का उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है। अभियुक्तगण के आचारण के संबंध में कोई आख्या प्रोबेशन अधिकारी से भी आहूत नहीं की गयी है। प्रकरण में किसी भी ऐसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रकरण अन्य मामलों से भिन्न हो गया हो और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष प्रावधानों का लाभ न देकर दण्डादेश पारित किया जाना अपरिहार्य हो गया हो।

23. अपील की पत्रावली पर उपलब्ध जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या उपलबध है, जिसके अनुसार अभियुक्तगण बेचेलाल, बिल्लू, रामनरेश पुत्रगण मंगा निवासीगण ग्राम रसूलपुर ऐमा थाना साण्डी जनपद हरदोई सभी एक परिवार में रहते हैं। अभियुक्तगण स्वयं के खेत में कृषि कार्य करते हैं। अभियुक्त के विषय में गाँव के अन्य व्यक्तियों से भी पूछताक्ष की गयी, जिनके द्वारा बताया गया कि इनका चाल–चलन वर्तमान में सामान्य है। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वह वर्तमान में सदाचारी जीवन व्यतीत कर रहें हैं। भविष्य में कोई अपराध न करने का आश्वासन दिया गया। ग्राम प्रधान द्वारा वर्तमान में इनका चरित्र उत्तम होने का प्रमाण पत्र दिया गया है। इनके विरूद्ध ऐसा कोई विपरीत कार्य/ शिकायत नहीं ज्ञात हुई है, जो इनके चरित्र को प्रभावित करती हो। मामला वर्ष 1998 का है और मामले का प्रतिवाद करने में अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण का काफी समय व्यय किया गया है, जो परोक्ष रूप से दण्ड के सामान है। चोटहिल शिवराज की गंभीर उपहति, उसके बांये हाथ की छोटी उंगली का अस्थिभंग की है, इसलिए उपरोक्त वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण को सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा न कर उपरोक्त दण्डादेश पारित किये का कोई औचित्यपूर्ण आधार दर्शित नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा परिवीक्षा का लाभ न देकर दण्डोदेश पारित करने का निष्कर्ष तर्क संगत एवं विधि के प्रवाह के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के संबंध में अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य

है और अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण को एक वर्ष के सदाचार परिवीक्षा पर रिहा किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक अपील आंशिक रूप से विवेचन के अनुरूप विचारण न्यायालय द्वारा दाण्डिक परिवाद सं०–1350/2014, धारा–323/34,325/34 भा०दं०सं०, शिवराज बनाम बेचेलाल आदि थाना साण्डी जिला हरदोई में अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण बेचेलाल, बिज्जु उर्फ बिजलाल एवं रामनरेश की दोषसिद्धि के संबंध में पारित आदेश/निर्णय दिनांकित 11.05.2023 के संबंध में अस्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण बेचेलाल, बिज्जु उर्फ बिजलाल एवं रामनरेश की अपराध अं०धारा–323/34,325/34 भा०दं०सं० के अधीन पारित दोषसिद्धि के संबंधी आदेश/निर्णय की पुष्टि की जाती है।

अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण द्वारा योजित दाण्डिक अपील संख्या 28/2023, बेचेलाल आदि बनाम उ०प्र०राज्य आदि आंशिक रूप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के संबंध में स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को निर्णय की सीमा तक निर्णय दिनांकित 11.05.2023 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलकर्तागण/दोषसिद्धगण बेचेलाल, बिज्जु उर्फ बिजलाल एवं रामनरेश को तत्काल दण्डित करने के बजाय उन्हें प्रथम आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम,1958 की धारा 4 का लाभ देते हुए एक वर्ष के सदाचार की परिवीक्षा पर मुबलिग बीस हजार रूपये का निजी बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक सदाचार व नेक चाल–चलन बनाये रखेंगें तथा कोई अपराध कारित नहीं करेंगे। यदि उनके द्वारा इस संबंध में अपराध कारित किया जाता है तो परीक्षण न्यायालय के बुलाए जाने पर न्यायालय में उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेंगे।

अपीलार्थीगण/दोषसिद्धगण निजी बंध पत्र तत्काल प्रस्तुत करें तथा एक माह के अन्दर जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरदोई के समक्ष बीस हजार रूपये की दो प्रतिभू प्रस्तुत करें।

निर्णय की एक प्रति अवर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कर प्रेषित की जाये तथा एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरदोई को अनुपालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाए।

(रीता कौशिक)

दिनांक 06.04.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(रीता कौशिक)

दिनांक 06.04.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।